न्यायालय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, प्रथम, शिवहर।
पुरनहिया थाना कांड संख्या–165/2020

दिनांक–02–12–2020

कराधीन अभियुक्तगण–1. बिपिन राउत, 2. मुकेश राउत एवं 3. जीवन राम, जिन्हें पुरनहिया थाना कांड संख्या–165/20 अन्तर्गतं धारा–37(सी) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधित) अधिनियम, 2018 के अपराध के संदर्भ में दि0 28–11–2020 से न्यायिक अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामकैलाश प्रसाद सिंह के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री ब्रजेश कुमार सिंह को सुना गया।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के कारण झूठे मुकदमें में फंसाया गया है। इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। आवेदकगण पर सिर्फ शराब पीने का अभिकथन है। आवेदक अभियुक्तगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण दि0 28–11–2020 से कारा में है। आवेदकगण सक्षम बंध पत्र देने को तैयार हैं तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक मुन्ना कुमार गुप्ता, पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष, पुरनहिया थाना एवं अन्य पुलिसगण तथा सशस्त्र बल दि0 27–11–20 को थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए समय 18:00 बजे चिरैया पेट्रोल पम्प के पास पहुँचे तभी ग्राम चिरैया की तरफ से दो व्यक्ति हंगामा करते हुए नजदीक आया, जिसको रोककर नाम–पता पुछने पर अपना नाम क्रमशः बिपिन राउत पे0 विन्देश्वर राउत तथा मुकेश राउत उर्फ मुजेश राउत पे0 स्व0 रामबली राउत साकिन बराही मोहन थाना पुरनहिया जिला शिवहर बताया। दोनों नशें में झुम रहे थे तथा पुछने पर बताये कि वे शराब पी लिए हैं। उक्त दोनों व्यक्तियों को थाना लाकर ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जॉच करने पर मुकेश राउत द्वारा 153.4एम.जी./100एम.एल. एवं बिपिन राउत द्वारा 31.4एम.जी./100एम.एल. शराब के सेवन करने की पुष्टि हुई। तभी समय करीब 18:30 बजे सूचना मिलने पर सूचक सशस्त्र बल के साथ ग्राम चकफतेहा पहुँचे एवं जीवन राम पे0 स्व0 टेनु राम को ग्रामीणों के साथ हंगामा करने के आरोप में पकड़कर थाना पर लाया जहाँ ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जॉच करने पर 178.9एम.जी./100एम.एल. एवं पकड़ाये तीनों व्यक्तियों का प्राथमिकी स्वास्थ्य जॉच केन्द्र पुरनहिया में जॉच कराने पर चिकित्सक द्वारा भी शराब के सेवन करने की पुष्टि की गई। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण प्रस्तुत वाद के नामजद अभियुक्त है तथा प्रस्तुत वाद में दि0 28–11–2020 से कारा में है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण पर अल्कोहल का सेवन कर हल्ला–हंगामा करने का अभियोग है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्तगण के कारा में बिताये अवधि एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण–1. बिपिन राउत, 2. मुकेश राउत एवं 3. जीवन राम में से प्रत्येक के द्वारा मो0–10,000/– (दस हजार) रुपया के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त के दोनो जमानतदार स्थानीय होने चाहिए।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

Khyati Singh

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
सह विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।

दिनांक–02–12–2020.